

Date: 04/09/2023

To

Manager, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, BandraKurla Complex- Bandra (E), Mumbai-400051 NSE Symbol: HITECH	Listing Department, BSE Limited PhirozeJeejeebhoy Towers, Rotunda Building, Dalal Street, Fort Mumbai- 400001 Scrip Code: 543411
---	---

Sub: Copy of Newspaper Publication regarding 39th Annual General Meeting (“AGM”) of the Company to be held through Video Conferencing (“VC”)/ Other Audio Visual Means (“OAVM”)

Dear Sir/ Madam,

In terms of Regulation 30, 47 and other applicable Regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), please find enclosed herewith copy of Newspaper Publication of **“Notice to the members for the 39th Annual General Meeting”** published by the Company in **“Financial Express”** (English edition) and **“Jansatta”** (Hindi edition) **dated 03rd September, 2023** in respect of pre-dispatch intimation of Notice of the ensuing 39th Annual General Meeting.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For Hi-Tech Pipes Limited

Arun Kumar
Company Secretary & Compliance Officer



HI-TECH PIPES LIMITED

Regd. Office: No. 505, Pearls Omaxe tower, Netaji Subhash Place,
Pitampura, New Delhi-110034
CIN: L27202DL1985PLC019750

Email: info@hitechpipes.in, Website: www.hitechpipes.in

NOTICE TO THE MEMBERS FOR THE 39TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Friday, 29th Day of September, 2023 at 12:30 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"). In compliance with the General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") has permitted the holding of the Annual General Meeting through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue.

Members can attend and participate in the AGM through the VC facility/OAVM only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Additionally, the Notice of AGM along with Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 will be available on the website of the company (www.hitechpipes.in) and also on Stock Exchanges websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com)

In Compliance with the aforesaid MCA and SEBI circulars, the requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the members have been dispensed with. Accordingly, the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 22-23 will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), as e-voting agency, for facilitating voting through electronic means ("remote e-voting") to enable the members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM as well as for the members who will present at the AGM through VC facility/OAVM and wish to cast their vote during AGM, through e-voting system ("e-voting"). The manner of "remote e-voting" and "e-voting" during the AGM for members holding shares in physical mode, dematerialization mode and for members who have not registered their email address will be provided in detail in the Notice of the AGM. In case you have any queries or issue regarding remote e-voting / e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact at evoting@nsdl.co.in or call at 022-4886 7000 and 022-2499 7000.

The Dividend for the Financial Year ended 31.03.2023 of Rs. 0.025/- per Equity Share as recommended by Board of Directors, if declared at the AGM, will be credited/despatched within 30 days from the date of AGM after deduction of Tax as per the provisions of Income Tax Act, 1961, to those members whose name appear on the Register of Members of the Company on Friday, 22nd September, 2023 or to their mandates. In respect of the Members holding shares in dematerialized form, dividend will be credited/despatched on the basis of the details of beneficial ownership to be received from the depositories for this purpose.

Keeping in view the above, the members whose e-mail ID for all communication, are not registered with the Depository Participant/ RTA are hereby requested to register and update their E-mail IDs with their respective Depository Participants (members holding the shares electronically) or with Company's RTA M/s Bigshare Services Pvt. Ltd (members holding shares in physical form) by following the below instructions:

Send a request to Company's RTA M/s Bigshare Services Pvt. Ltd. on their email address bssdelhi@bigshareonline.com (with the subject Line- E-mail registration for dispatch of Annual Reports for F.Y. 2022-23 of Hi-Tech Pipes Limited) mentioning:

- For Registering e-mail Address
 - Folio No.
 - Name of the Shareholder
 - scanned copy of the share certificate (front and back)
 - Self-attested scanned copy of PAN Card
 - self attested scanned copy of Aadhar Card
- b) For Registering Bank Account Details:
 - Name of the Bank and Branch
 - Bank Account Type
 - Bank Account Number
 - MICR/IFSC Code
 - Scan Copy of cancelled cheque leaf in support of the above

Transfer of Unclaimed/Unpaid Dividend to Investor Education Protection Fund (IEPF):

Members are requested to note that, dividends if not encashed for a period of 7 years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account of the Company, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). The shares in respect of such unclaimed dividends for 7 consecutive years are also liable to be transferred to the Demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members/ Claimants are requested to claim their unpaid/unclaimed dividends from FY 2015-16 till date, on or before October 30, 2023. For details, please refer to the Shareholder Information investor page on the Company's website www.hitechpipes.in

For and on behalf of
Hi-Tech Pipes Ltd.

Sd/-
Arun Kumar
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 02nd September, 2023

Rs. 24,71,168.47 (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

- to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;
- to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;
- you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;
- you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;
- you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 20/11/2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date : 21/08/2023.

Signature of the officer Authorised to issue summons



ALGOQUANT FINTECH LIMITED

CIN - L74110GJ1962PLC136701

Regd. Office: Unit No. 705, 07th Floor of ISON Elegance, Developed at Plot No. 24,
Prahalladnagar Ahmedabad City Gujarat -380015

Phone: +91-9910032394, E-mail: investors@algoquantfintech.com,

Website: www.algoquantfintech.com

NOTICE OF 60TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

(A) Annual General Meeting:

NOTICE is hereby given that 60th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of ALGOQUANT FINTECH LIMITED (the "Company") is scheduled to be held on Wednesday, 27th day of September, 2023 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OVAM) to transact the business through voting by electronic means, as set out in the Notice convening said AGM. The Company has already dispatched the annual report for FY 23 along with notice convening the AGM, on 2nd September, 2023, through electronic mode to the shareholders whose email address are registered with the Company and/or Depositories, in accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India. The Annual report along with notice of the AGM is also available on the website of the Company at www.algoquantfintech.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com and exchange at www.bseindia.com.

(B) Book Closure:

Notice is also further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of The Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 20, 2023 to Wednesday, September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company to be held on Wednesday, September 27, 2023.

(C) Remote E-voting and E voting during AGM:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote on all resolutions set forth in the notice convening the AGM, by way of electronic voting system ("Remote e voting") provided by NSDL. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being Wednesday, September 20, 2023. Any recipient of the Notice, who has no voting rights as on the Cut-off date, shall treat the Notice as intimation only.

The remote e-voting period begins on Saturday, September 23, 2023 at 09:00 A.M. and ends on Tuesday, September 26, 2023 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e., Wednesday, September 20, 2023 may cast their vote electronically. A person who has acquired the shares and has become a Member after the dispatch of the Notice of the AGM and prior to the Cut-off date i.e. Wednesday, September 20, 2023, shall be entitled to exercise his/her vote either electronically i.e. remote e-voting or e voting/venue voting system on the date of the AGM and may obtain the login id and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in and abhishek@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e voting, then he/she can use his/her existing user id and password for casting the votes.

Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000 / 022-24997000 or send a request to Mr. Abhishek Mishra at evoting@nsdl.co.in and abhishek@nsdl.co.in or write NSDL at Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013 or Unit No.601,603,604, 6th Floor, Tower - A, Naurang House, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New Delhi-110001 or approach Company Secretary of the

HI-TECH
— STEEL PIPES —

हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: नो. 505, प्लस ओमेक्स टॉवर, नेताजी सुभाष पैसेज,
पीतम्पुरा, नई दिल्ली 110034
CIN: L27202DL1985PLC019750
ईमेल: info@hitechpipes.in, वेबसाइट: www.hitechpipes.in

39वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सदस्यों को सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुरुवार, 29 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और सामान्य परिपत्र सं. 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 एवं परिपत्र सं.सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 और सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

सदस्यगण केवल वीसी सुविधा/ओवीएम के माध्यम से एजीएम शामिल एवं भाग ले सकते हैं जिसका विवरण बैठक की सूचना में कंपनी द्वारा दिया गया है। इसकी अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट (www.hitechpipes.in) और स्टॉक एक्सचेंजों वेबसाइट (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) तथा नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होगी। उपरोक्त कथित एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं।

कंपनी ने एजीएम में पारित किये जाने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर अपना वोट देने के लिए सदस्यों को सहमत बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("रिमोट ई-वोटिंग") के द्वारा वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के साथ ही वीसी सुविधा/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से अपना वोट देने के लिए ई-वोटिंग एप्लीकेशन के रूप में नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। भौतिक प्रारूप, डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल प्रारूप में शेर धारण करने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए "रिमोट ई-वोटिंग" एवं एजीएम के दौरान "ई-वोटिंग" की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ या परेशानी के मामले में आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड संस्करण पर उपलब्ध शेरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं या फोन नं. 022 - 4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लामांश रु. 0.025/- प्रति इक्विटी शेर, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है तो उन सदस्यों को आयकर अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार कर कटौती के बाद एजीएम की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा/डिस्पेंच किया जाएगा जिनके नाम शुरुवार, 22 सितंबर, 2023 या उनके अधिदेश को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे। डिजिटल/डिजिटल/डिजिटल प्रारूप में शेर धारण करने वाले सदस्यों के संबंध में लामांश हस्त प्रयोजन के लिए डिपॉजिटरीज से प्राप्त लामार्थी स्वामियों के विवरण के आधार पर जमा/डिस्पेंच किया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सदस्यगण जिनके ई-मेल पते सेबी पत्राचार डिपॉजिटरी प्रतिभागी/आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं, से एतद्वारा अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल आईडी अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेर धारण करने वाले सदस्यगण) या कंपनी के आरटीए मैसर्स बिगशोर सर्विसेज प्रा. लि. (भौतिक प्रारूप में शेर धारण करने वाले सदस्यगण) निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए पंजीकृत कराएं।

कंपनी के आरटीए मैसर्स बिगशोर सर्विसेज प्रा. लि. को उनके ई-मेल पते bsdelhi@bigshareonline.com पर अनुरोध भेजें जिसमें (हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 22-23 की वार्षिक रिपोर्ट डिस्पेंच के लिए विषय लाइन-ई-मेल पंजीकरण के साथ) वर्णित करें:

- क) ई-मेल पता पंजीकरण के लिए
- फोन नं. 02
 - शेरधारक का नाम
 - शेर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (आगे और पीछे)
 - पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति
 - आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति
- ख) बैंक खाता विवरण पंजीकरण के लिए
- बैंक एवं शाखा का नाम
 - बैंक खाता प्रकार
 - बैंक खाता संख्या
 - एमआईसीआर/आईएफएससी कोड
 - उपरोक्त के समर्थन में कैंसल किये गये बैंक की स्कैन कॉपी

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) में अदावाकृत/अप्रदत्त लामांश का अंतरण

सदस्यगण कृपया नोट करें कि यदि कंपनी के अप्रदत्त लामांश खाते को अंतरण की तिथि से 7 वर्षों की अवधि तक लामांश का भुगतान नहीं लिया जाता है तो कंपनी इसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफ") को अंतरित करने के लिए उत्तरदायी है। जिन शेरों के संबंध में निरंतर 7 वर्षों के लिए लामांश अदावाकृत है वे आईईपीएफ प्राधिकरण के डिबेट खाते में अंतरित किये जाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसको देखते हुए सदस्यों/दावेदारों से अनुरोध है कि वे 30 अक्टूबर, 2023 तक या उससे पूर्व वित्त वर्ष 2015-16 से वर्तमान तिथि तक अपने अप्रदत्त/अदावाकृत लामांश का दावा करें। विस्तृत विवरणों के लिए कंपनी की वेबसाइट www.hitechpipes.in पर शेरधारक सूचना निवेशक पेज का अवलोकन करें।

कृते और उनकी ओर से
हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड
हस्ता./-
अरुण कुमार
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 02 सितंबर, 2023

स्थान: मेरठ
दिनांक: 02.09.2023

डिन: 03530674
प्रबंध निदेशक

प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एसटीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वा. सं. ओए/616/2023

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन

Exh. No. 19027

पंजाब नेशनल बैंक (ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स)

बनाम

श्री धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह वर्मा

सेवा में,

(1) श्री धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह वर्मा श्री धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह वर्मा, निवासी मकान नं. के-2, प्रथम तल, फतेह नगर, नई दिल्ली-110018 बसरा पता: 9714, लिंक मीडो लेन, ब्रुस्टन, TX770026 बसरा पता: 9714, लिंक मीडो लेन, ब्रुस्टन, TX770025

(2) प्रतिवादी नं. 2 - श्री नरेंद्र वर्मा पुत्र श्री प्रेम सिंह वर्मा, निवासी मकान नं. के-2, पहली मंजिल, फतेह नगर, नई दिल्ली - 110018 जिसका पैन नं. ABXPV8425A

(3) प्रतिवादी नं. 3 - मैसर्स रामप्रथम सारे रियल्टी प्रा. लि., ग्राम वजीरपुर और ग्राम मेवका, सेक्टर-92, गुडगांव हरियाणा, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निर्गमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-10, सी ब्लॉक मार्केट, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057

सम्मन

जबकि, ओए/616/2023 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 26-06-2023 को प्रस्तुत किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. 32,73,113/- के ऋण की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुरोध कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-

(i) सम्मन की तारीख के तीसरे दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;

(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

(iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है;

(iv) आप किसी भी आस्तित्व पर कोई प्रतिभूति हित सुचित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, नहीं करेंगे;

(v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने तथा दिनांक 27/09/2023 को पूर्ण। 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 03/07/2023 को दिया गया।

अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत

प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एसटीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वा. सं. ओए/50/2023

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन

Exh. No. 18426

पंजाब नेशनल बैंक

बनाम

गीतिका धवन धवन

सेवा में,

(1) गीतिका धवन धवन पुत्री/पत्नी/पुत्र सुरेंद्र धवन, श्रीमती गीतिका धवन पुत्री श्री सुरेंद्र धवन, निवासी बी-60, प्रथम तल, ऋषि नगर, नई दिल्ली-110034, नई दिल्ली

सम्मन

जबकि, ओए/50/2023 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार के समक्ष 29-04-2023 को प्रस्तुत किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. 23,45,786/- के ऋण की वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल किए गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुरोध कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न)

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-

(i) सम्मन की तारीख के तीसरे दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;

(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;

(iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है;

(iv) आप किसी भी आस्तित्व पर कोई प्रतिभूति हित सुचित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, नहीं करेंगे;

(v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने तथा दिनांक 27/09/2023 को पूर्ण। 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 09/06/2023 को दिया गया।

अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत